वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – ऑपरेशनलाईज ब्लड बैंक

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – ब्लड बैंक के चिकित्सा पदाधिकारी का मानदेय

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – A.8.1.5. (PART -A)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –
राज्य के सभी 76 FRU's में Blood Bank को लोक–निजी साझेदारी के तहत संचालित किया जाना है । 21 FRU's में Blood Bank इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा कार्यरत है । 7 FRUs के Blood Bank संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से नियमानुसार संचालित है । साथ ही वित्तीय वर्ष 2011–12 में 6 नये ब्लड बैंक यथा अरवल, अररिया, बांका, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, एवं शिवहर का संचालन किया जाना है । उपरोक्त बल्ड बैंक में अनुबंध के आधार पर एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) की नियुक्ति की जानी है । जिस Blood Bank का संचालन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा किया जा रहा है, वहां भी संबंधित एजेंसी के द्वारा एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) प्रत्येक ब्लड बैंक हेतु उपलब्ध करायी जानी है । जिसके लिये एजेंसी को निम्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राशि निर्गत की जानी है। शेष Blood Bank में भी एक–एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) की नियुक्ति संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुबंध पर की जानी है । जिसका भुगतान भी निम्न सारणी के अनुसार ही किया जायेगा ।

इकाई राशि (रू0 में) –

क्रम सं0	विवरणी	संख्या	दर	माह	राशि (3x4x5=6)
1	2	3	4	5	6
1	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी)	1	35,000/– प्रतिमाह	12	4,20,000/–
एक इकाई का एक वर्ष में संचालन हेतु कुल खर्च ––––– रू0 – 4,20,000/–					

नोट : विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) उपलब्ध नहीं होने पर एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षित/एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलोजी से कार्य लिया जा सकता है । परन्तु उनका भुगतान सरकारी नियामानुसार किया जायेगा । उक्त मद में किये जाने वाले राशि का व्यय एजेंसी के साथ भी लागू होगा । अगर एजेंसी (इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी/संतोष मेडिकल) के द्वारा संचालित बल्ड बैंको में एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षित/एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलोजी से कार्य लिया जा रहा है, तो उक्त चिकित्सक का भुगतान भी सरकारी नियमानुसार किया जायेगा ।

वित्तीय दिशा निर्देशन – ब्लड बैंक के संचालन हेतु उपरोक्त विवरणी के अनुरूप उक्त मद में इसी दर से व्यय किया जाना है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ0 एन0 के0 मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी